राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 51/2022 अपील

1. राधेश्याम पुत्र मोहनलाल बनाम निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ

1. लक्ष्मण पुत्र सीताराम जाट निवासी रानीखेडा तहसील माण्डलगढ
2. कमलादेवी पत्नी नाथूलाल
3. सतीश पुत्र नाथूलाल
4. मुकेश पुत्र नाथूलाल (मृतक) जरिये का.मु.–
   4/1. रतनदेवी पत्नी मुकेश
   4/2. दिप्ती पुत्री मुकेश
   4/3. हर्षिता पुत्री मुकेश
   4/4. शैफाली पुत्री मुकेश
   अकवाम जाति आगाल निवासी बीगोद
5. कमलेश पुत्र नाथूलाल
6. राजलक्ष्मी पुत्री नाथूलाल अकवाम जाति आगाल निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ एवं उप पंजीयक माण्डलगढ

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० लेण्ड रेवन्यू एक्ट
अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार माण्डलगढ नामान्तरकरण संख्या 3703 दिनांकित 01.07.2014 व आदेश दिनांक 30.06.2014 पत्रांक/भू.अ./2014/1513

उपस्थित –

1. श्री दिनेश शिशोदिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से
3. श्री अशोक कुमार गटटानी अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 02, 4/1 से 4/4, 5 की ओर से
4. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट संख्या 07 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.12.2023

मान. न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा के प्रकरण संख्या 68/2017/अपील/एलआरएक्ट/भीलवाडा निर्णय दिनांक 11.05.2022 से प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ के आदेश दिनांक 30.06.2014 के विरूद्व अपील नियमानुसार दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब करते हुये पक्षकारान् की

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्र पर दिनांक 30.06.2014 को आज्ञापक रूप से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करने का आदेश दिया जबकि पक्षकारान के मध्य विवाद लम्बित होने के तथ्य स्वयं तहसीलदार की जानकारी में थे, इस कारण दिनांक 30.06.2014 को तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना स्थगित किये जाने हेतु अपील जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मुन्तकिली प्रा. पत्र /एलआर/6774 /जिला भीलवाडा /2016 बउनवान राधेश्याम बनाम लक्ष्मण वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 अनुसार पत्रावली मान. न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त कोटा में सुनवायी हेतु स्थानान्तरित की गयी।

अपील मेमों में अंकित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीगोद तहसील माण्डलगढ में किता 15 रकबा 18.03 बीघा की कृषि आराजियात स्थित हैं जो राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 03 श्रीमती कमला देवी के पति नाथूलाल पिता मोहनलाल के नाम पर जमाबन्दी संवत् 2047 से मुतवातिर आज दिनांक तक दर्ज चली आ रही हैं। उक्त आराजियात पर अपीलाण्ट का कब्जा दिनांक 30.04.1985 से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लगायत 06 के पति व पिता नाथूलाल के मध्य हुये पारिवारिक समझौतापत्र के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा हैं। अपीलाण्ट द्वारा नाथूलाल जो कि अपीलाण्ट का सगा भाई है, को पारिवारिक समझौता अनुसार राजस्व रिकार्ड में से अपना नाम हटाकर उसके हिस्से की आराजियात का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम खुलाने हेतु कहा तो नाथूलाल द्वारा इन्कार कर दिये जाने से अपीलाण्ट ने एक वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के यहां प्रस्तुत किया गया। जिसमें रेस्पोडेण्ट का 1/2 हिस्सा माना जाकर वाद खारिज किया गया। इस निर्णय की अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अपील अस्वीकार की गयी। इस निर्णय के विरूद्व एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की गयी जो अस्वीकार की गयी। इसके बाद 44/2014 रिव्यू रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की गयी जो जैर कार्यवाही हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से लगायत 07 के पति/पिता नाथूलाल ने दौराने उक्त विधिक कार्यवाही दिनांक 22.04.2008 को वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में दर्ज उसके 1/2 हक हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 02 लक्ष्मण पुत्र श्रीराम जाट को विक्रय कर दी।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया कि प्रश्नगत आराजियात के संबंध में स्वयं निगराकार ने बताया कि वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रकरण सक्षम न्यायालय अपर जिला न्यायालय संख्या 03 भीलवाडा शिविर माण्डलगढ मे विचाराधीन हैं। उक्त नामान्तरकरण फैसल नहीं हुआ हैं। नामान्तरकरण पैण्डिंग हैं। इसलिए उक्त अपील प्रथम दृष्टया ही प्रीमैच्योर होने से चलने योग्य नही हैं। इसलिए अपील की कार्यवाही स्थगित किये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। यदि पैण्डिंग नामान्तरकरण की अपील की कार्यवाही स्थगित की जाती हैं तो कानूनन घौर उल्लंघन होगा। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 एवं 151 जा.दी. को खारिज किया जाकर अपील खारिज योग्य ठहरती हैं। प्रकरण में नाथूलाल ने अपना 1/2 हक हिस्सा विपक्षी रेस्पोडेण्ट लक्ष्मण जाट को दिनांक 22.04.2008 को विक्रय कर दिया, जिसका नामान्तरकरण फैसल नहीं हुआ, इससे पूर्व ही अपील पेश कर दी गयी, जिसके साथ में नामान्तरकरण संलग्न नहीं हैं। इसलिए अपील प्रीमैच्योर के आधार पर मान. न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा खारिज की गयी जो सही हैं। अतः निवेदन हैं कि उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। माननीय अति. संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा के निर्णयानुसार प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर उनकी विधिवत सुनवायी की गयी। पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में जिस नामान्तरकरण संख्या 3703 दिनांकित 01.7.2014 को निरस्त करने का जो निवदेन किया हैं, इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण करने पर पाया गया कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा ऐसा कोई नामान्तरकरण संख्या 3703 दिनांक 01.07.2014 को स्वीकृत नही किया गया। इस प्रकार जब कोई नामान्तरकरण जारी ही नही किया हुआ हैं, तो न्यायालय द्वारा उसे निरस्त किया जाना विधिनुरूप सही नही कहा जा सकता है।

इसी प्रकार अपीलाण्ट ने अपील मेंमों में अंकन किया कि आदेश दिनांक 30.06.2014 पत्रांक/भू.अ./2014/1513 को निरस्त किया जावे। इस बाबत् पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण करने पर जाहिर आया कि अधीनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिका दिनांक 30.06.2014 पत्रांक/भू.अ./2014/1513 में किसी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

भी तरह का कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया हैं। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील की जाती हैं, एवं अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के संबंध में कानूनन निर्णय किया जाना होता हैं, किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित ही नही किया गया तो, इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता हैं।

वैसे भी पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि अपीलार्थी ने विभिन्न न्यायालयों में वाद संस्थित कर रखा हैं एवं स्वयं अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 जा.दी. में अंकित किया हुआ हैं कि प्रकरण में वास्तविक हक का निर्धारण सक्षम न्यायालय अपर जिला न्यायालय संख्या 03 भीलवाडा शिविर माण्डलगढ में जैरकार संस्थित वाद से ही निस्तारण होना हैं, तो इस संबंध में यह स्पष्ट इंगित होता हैं कि अपीलार्थी केवल वाद बाहूल्यता बढाकर, न्यायालय का समय बेजा जाया कर, प्रकरण में न्यायालय को गुमराह कर, इस न्यायलय में यह प्रकरण अनावश्यक जैरकार रखना चाहता हैं। जबकि इस प्रकरण में पूर्व में ही माननीय जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा अपील प्रीमैच्योर होने के आधार पर खारिज की गयी जो विधिनुरूप युक्तियुक्त ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा के निर्णयानुसार सभी पक्षकारों की पूर्ण सुनवायी की जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किये जाने के उपरांत यह पाया गया कि अपील प्रीमैच्योर होने से अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील प्रीमैच्योर होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ एवं उप पंजीयक माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा